	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 02, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 22, 2026 Vaisakha 02, Wednesday, Saka 1948- April 22, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 17, 2026

संख्या प.9(71)राज-1/2025-27141:- राजस्व ग्रामों के नक्शों का डिजीटाईजेशन की प्रक्रिया में जमाबंदी के प्रत्येक खसरे का नक्शे के प्रत्येक खसरे से मिलान करते समय यह ध्यान में आया है कि कतिपय राजस्व ग्रामों के कुछ खसरें सम्बन्धित ग्राम की सीमा के अन्दर स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित है। इससे प्रशासनिक असुविधा के साथ-साथ भू-अभिलेखों के संधारण में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके समाधान हेतु संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 9(18)राज-6/18/13 दिनांक 15.03.2018 अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा धारा के खण्ड (ख) के अधीन ग्राम सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां जिला कलक्टर को अपने-अपने अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु प्रत्यायोजित की गई।

अतः फलौदी जिले की तहसील देचू के राजस्व ग्राम भईयों की ढ़ाणी एवं रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढ़ाणी का वन-टू-वन मैपिंग एवं नक्शा डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, फलौदी से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप **इन राजस्व ग्रामों के खसरा नम्बर व रकबा नीचे वर्णित सारणी अनुसार परिवर्तित करने तथा आइलेण्ड खसरो का रकबा संशोधन करने की अनुमति जिला कलक्टर, फलौदी को प्रदान की जाती हैं।**

राजस्व ग्राम रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढ़ाणी में दर्ज अशुद्ध कतिपय खसरों का रकबा जिन्हें शुद्ध किया जाना है, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टे. मे)	शुद्ध रकबा (हैक्टे. मे)
1	**187**	26.6606	24.5563
2	**220**	3.8445	4.7996
3	**222**	0.0016	0.17
4	**228**	0.6070	0.5908
5	**231**	3.8040	3.7312
6	**231/2**	2.8408	2.7680
7	**231/8**	2.4362	1.7806

8	**231/9**	4.1277	2.7519
9	**231/10**	3.3022	2.2986
10	**240**	35.6122	35.7256
11	**283/9**	2.1043	1.4569
नोट : खसरा संख्या 203/1 के स्थान पर 203 अंकित कर शुद्ध किया जाना है।			

राजस्व ग्राम रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढ़ाणी में शामिल किए जाने वाले आइलेण्ड खसरों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरों की वर्तमान स्थिति				खसरों की संशोधन पश्चात स्थिति			
	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है. मे)	किस्म	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है. मे)	किस्म
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	भइयों की ढाणी	212/1	0.0647	गै.मु. बाडा	रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढाणी	212/1	0.0647	गै.मु. बाडा
2		231/19	0.0728	गै.मु. रास्ता		231/19	0.0728	गै.मु. रास्ता
3		231/20	0.0728	गै.मु. रास्ता		231/20	0.0728	गै.मु. रास्ता
4		283/2	1.4569	बा. IV		283/2	1.4569	बा. IV
5		277/1	0.7284	बा. III		277/1	0.7284	बा. III
6		240/11	0.0486	गै.मु. रास्ता		240/11	0.0486	गै.मु. रास्ता
7		283/13	1.4569	बा. IV		283/13	1.4569	बा. IV

उक्तानुसार संशोधन होने पश्चा राजस्व ग्राम भईयों की ढ़ाणी एवं रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढ़ाणी का क्षेत्रफल निम्नानुसार होगा:-

क्र. स.	ग्राम पंचायत / पटवर मण्डल	नाम राजस्व ग्राम	कुल खसरों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हैक्टे. मे)
1	धाराबागां पुराण / कुशलावा	भइयों की ढाणी	146	303.4169
2		रामकिशनाणी व सुखाणियों की ढाणी	140	351.8493

इस आदेश प्रसारण से ग्राम की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिला कलक्टर, फलौदी ग्रामों के अभिलेखन निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।